महत्वपूर्ण एवं खास

एआईटीटी परीक्षा के लिए फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त

रायगढ़ । महानिदेशालय प्रशिक्षण नई दिल्ली से निर्देशानुसार सी.टी.एस.के अंतर्गत ए.आई.टी.टी.(वार्षिक पद्धति)2021 हेतु शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायगढ़ के परीक्षा केन्द्र में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त 2021 निर्धारित है। अनुत्तीर्ण भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थी विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में प्राचार्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म, अपराध दर्ज

रायगढ़। दिनांक 06/08/2021 को थाना कापू में युवती द्वारा जैकी यादव पिता तिलकेश्वर यादव निवासी बंधनपुर थाना कापू के विरूद्ध शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। युवती बताई कि स्कूल के समय से जैकी यादव से जान पहचान है। जैकी यादव पसंद करता हूं शादी करूंगा बोला था, दोनों का मिलना-जुलना था, इस बीच जैकी अपने मोबाईल पर बिना बताये एक विडियो बना लिया जिसे वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाया , अब शादी से इंकार कर रहा है। युवती के लिखित आवेदन पर आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 107/2021 धारा 376,506 आईपीसी का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है, आरोपी फरार है।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की औसत दर 0.26 प्रतिशत

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की औसत दर 5 अगस्त को 0.26 प्रतिशत रही है। इस दिन प्रदेश भर में हुए 44 हजार 399 सैंपलों की जांच में 114 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। राज्य के सभी जिलों में संक्रमण की दर एक प्रतिशत से नीचे पहुंच गई है। विभिन्न जिलों में संक्रमण की दर शून्य प्रतिशत से लेकर अधिकतम 0.75 प्रतिशत है। प्रदेश के तीन जिलों बेमेतरा, कबीरधाम और मुंगेली में 5 अगस्त को कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं आया है।

दपूमरे से संबंधित कुछ ट्रेनें 7 से 12 अगस्त तक प्रभावित रहेगी

दमरे के विजयवाड़ा-उप्पलूरु सेक्शन में दोहरीकरण का कार्य चलेगा

रायपुर (आरएनएस)। दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले विजयवाड़ा-उप्पलूरु सेक्शन में दोहरीकरण का कार्य 07 से 12 अगस्त 2021 तक किया जायेगा। इसके फलस्वरुप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेल मंडल के अधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार परिवर्तित मार्ग से चलने वाली गाड़ियों में क्रमशः 08 एवं 12 अगस्त को तिरुपति स्टेशन से चलने वाली 07481 तिरुपति-बिलासपुर स्पेशल ट्रेन परिवर्तित मार्ग विजयवाड़ा, एलूरु, निडदवोलु जंक्शन होकर चलेगी, 07 एवं 10 अगस्त को बिलासपुर स्टेशन से चलने वाली 07482 बिलासपुर-तिरुपति स्पेशल ट्रेन निडदवोलु जंक्शन, एलूरु, विजयवाड़ा होकर चलेगी।

नेशनल हाईवे के सड़कों की जल्द करें मरम्मत-कलेक्टर

» रायगढ़ शहर एवं सारंगढ़ के नेशनल हाईवे की सड़कों का कलेक्टर ने किया निरीक्षण

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने रायगढ़ शहर एवं सारंगढ़ के नेशनल हाईवे के अंतर्गत आने वाली सड़कों का निरीक्षण किया। कलेक्टर सिंह ने निरीक्षण के दौरान सड़को के निर्माण के लिए टेंडर की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को सड़कों में गड्ढ़ों के भराव और पैच वर्क कर मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। साथ ही जिन सड़कों के निर्माण के टेंडर जारी हो चुके हैं उसकी प्रक्रिया पूरी कर बारिश के पश्चात तत्काल निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर विधायक रायगढ़ प्रकाश नायक, विधायक सारंगढ़ श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े भी मौजूद रहे।

कलेक्टर सिंह ने आज रायगढ़ के कोतरा रोड से ढिमरापुर चौक जाने वाले सड़कों का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने जर्जर सड़को के मरम्मत के लिए किये जा रहे कार्यो की जानकारी विभागीय अधिकारियों से लिया। नेशनल हाईवे के अधिकारी ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर से भूपदेवपुर होते चपले तक के मार्ग के 37.50 किमी के लिए टेंडर पास हो चुका है। ठेकेदार द्वारा एग्रीमेंट कर बारिश के बाद काम शुरू किया जाएगा। वर्तमान में ईपीसी ठेकेदार द्वारा मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर सिंह ने भारी वाहनों के साथ आम लोगों की आवाजाही को ध्यान रखते हुए नियमित रूप से मरम्मत कार्य करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सिंह ने सारंगढ़ नेशनल हाईवे की सड़कों का भी निरीक्षण किया। एनएच में आयी दरारों को जल्द भरने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए। कलेक्टर सिंह ने सारंगढ़ बाईपास में चल रहे कार्यों का भी जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि इस मार्ग में निर्माणाधीन ब्रिज का काम पूरा कर लिया गया है और अप्रोच रोड बनाने का काम चल रहा है। कार्य की धीमी प्रगति को देखते हुये कलेक्टर सिंह ने प्रोजेक्ट मैनेजर पर गहरी नाराजगी जतायी और कार्य को जल्द पूरा करने निर्देश दिए।

कलेक्टर सिंह ने सारंगढ़ से परसदा मार्ग का निरीक्षण किया। इस मार्ग के निर्माण के बारे में नेशनल हाईवे के ईई ने बताया कि इस सड़क के 12.300 किमी निर्माण के लिए 46 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजा गया है। स्वीकृति के पश्चात आगे के कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर सिंह ने अभी फौरी राहत के लिए सड़क में गड्ढे भरने और मरम्मत कार्य करने के निर्देश दिए। इसी साथ उन्होंने बायपास से सारंगढ़ की पुरानी सड़क में भी आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य करने के निर्देश दिये। इस दौरान जनपद उपाध्यक्ष गनपत जांगड़े, सारंगढ़ एसडीएम नंदकुमार चौबे सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

फर्सवानी चारागाह का किया औचक निरीक्षण- कलेक्टर सिंह ने निरीक्षण के दौरान सारंगढ़ विकासखंड के फर्सवानी स्थित चारागाह का औचक निरीक्षण किया। जहां उन्होंने पशुपालन विभाग द्वारा किये जा रहे चारागाह विकास के कार्यों का जायजा लिया। चारागाह में उपलब्ध जगह के अनुसार नेपियर रूट्स के कम प्लांटेशन को लेकर उन्होंने गहरी नाराजगी जतायी और चारागाह के प्लांटेशन योग्य शेष जगह पर भी नेपियर रूट्स लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चारागाह में लगभग 80 प्रतिशत स्थानों पर हरा चारा लगाएं। इसके साथ ही उन्होंने चारागाह में सुरक्षा की दृष्टि से गेट लगवाने के लिए निर्देशित किया।

स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल : शिक्षक संवर्ग की संविदा नियुक्ति हेतु वॉक इन इंटरव्यू 13 अगस्त को

रायगढ़। रायगढ़ जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षक संवर्ग की संविदा नियुक्ति हेतु दो चरणों में साक्षात्कार द्वारा चयन किया गया है। चयन प्रक्रिया के उपरांत विभिन्न पद रिक्त है। जिसके लिए सेंट जेवियर हाईस्कूल बोईरदादर रोड रायगढ़ स्थल में 13 अगस्त 2021 को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक सीधे वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। पात्रताधारी आवेदकों का दस्तावेज परीक्षण उपरांत साक्षात्कार किया जाएगा। आवेदक को निर्धारित आवेदन पत्र एवं मूल अभिलेख एवं एक सेट सत्यापित प्रति सहित साक्षात्कार के समय स्वयं को उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार में अंग्रेजी भाषा में शिक्षण एवं विषय ज्ञान से संबंधित परीक्षण किया जाएगा। अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांक तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। आवेदन पत्र प्रारूप जिले की वेबसाईट https: // www. raigarh. gov.in में उपलब्ध है। नियुक्ति हेतु शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

व्याख्याता अंतर्गत विषय सामाजिक अध्ययन-5 पद अनारक्षित, भौतिक-एक पद अनारक्षित एवं वाणिज्य-एक पद अ.ज.जा. के लिए रिक्त है। जिसके लिए मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बीएड प्रशिक्षित अनिवार्य है। आवेदक को कक्षा 8 वीं, 10 वीं एवं 12 वीं अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

सोहेला-बरमकेला मार्ग से गांजा का अवैध परिवहन कर रहा युवक गिरफ्तार

» आरोपी से 04 कि.ग्रा. गांजा और बाइक की जप्ती, डोंगरीपाली पुलिस की कार्रवाई

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक रायगढ़ अभिषेक मीणा के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी सारंगढ़ प्रभात पटेल के दिशा निर्देशन पर डोंगरीपाली पुलिस लगातार बार्डर के रास्ते होने वाले मादक पदार्थ की अवैध तस्करी पर कार्रवाई कर रही है, इसी क्रम में दिनांक 05/08/2021 को डोंगरीपाली पुलिस द्वारा सोहेला बरमकेला मार्ग ग्राम डोंगरीपाली गैस गोदाम के पास घेराबंदी कर ओड़िशा से मोटर सायकल पर गांजा ला रहे व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिससे 04 कि.ग्रा. गांजा बरामद हुआ है। डोंगरीपाली पुलिस आरोपी पर 20(बी) एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार दिनांक 05/08/2021 को थाना प्रभारी डोंगरीपाली निरीक्षक जितेन्द्र एसैया को मुखबिर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति काला पीला रंग के मोटर सायकल में अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर सोहेला बरमकेला रोड से जाने वाला है। सूचना पर थाना प्रभारी वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना से अवगत कराकर हमराह आरक्षक विनय तिवारी, किशोर एक्का, जयमन एक्का के साथ गांजा रेड कार्रवाई के लिये सोहेला-बरमकेला मुख्य मार्ग पर डोंगरीपाली गैस गोदाम के पास नाकेबंदी किये। इसी दरम्यान होण्डा स्पेलेन्डर मोटर सायकल क्रमांक- सीजह 12 एपी1861 के सामने एक सफेद रंग प्लास्टिक झोला लेकर आते व्यक्ति को स्टाफ द्वारा रोककर चेक किया गया, जिसके पास से 02 पैकेट में 04 कि.ग्रा. कीमती करीबन 24,000/- रूपये मिला। आरोपी शिवनाथ सिंह पिता दरोगा सिंह उम्र 45 वर्ष साकिन मुडापार बाजार चौकी मानिकपुर थाना सिटी कोतवाली कोरबा जिला कोरबा द्वारा गांजा अवैध बिक्री के लिये लेकर जाना स्वीकार किया। आरोपी के विरूद्ध थाना डोंगरीपाली में धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है।

7 टन कबाड़ के साथ आरोपी गिरफ्तार, ट्रक जब्त

रायगढ़। नगर निरीक्षक मनीष नगार के नेतृत्व में आज शाम ढिमरापुर के आगे मेन रोड़ पर अवैध कबाड़ के परिवहन में लिप्त ट्रक को कोतवाली स्टाफ द्वारा पकड़ा गया है। आरोपी पर धारा 41(1+4)सीआरपीसी/379 आईपीसी की कार्रवाई की गई है।

जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी कोतवाली आज दिनांक 06/08/2021 के शाम मुखबीर से सूचना मिली कि 6 चक्का ट्रक में अवैध कबाड़ लोड होकर पूंजीपथरा की ओर जाने के लिए निकली है। सूचना पर थाना प्रभारी थाने से प्रधान आरक्षक नंदकुमार सारथी, श्याम देव साहू, आरक्षक उत्तम सारथी को रवाना किया गया। कोतवाली स्टाफ द्वारा थाना प्रभारी एवं मुखबिर से संपर्क कर ढिमरापुर चौक के आगे रोड में छिपकर 06 छक्का के आने का इंतजार किये। देर शाम ईला माल रोड की ओर से 6 चक्का ट्रक क्रमांक सीजी 13 ए.के. 2305 में अवैध कबाड़ होने का संदेह होने पर कोतवाली स्टाफ द्वारा ट्रक को रुकवा कर ट्रक को चेक किया गया जिसमें लोहे के प्लेट के टुकड़े तथा लोहे के पुराने पाट्‌र्स एंगल के टुकड़े लोड थे। ट्रक का चालक संजू चौहान पिता नेहरू चौहान उम्र 35 वर्ष निवासी सांगी ताराई चौकी जूटमिल द्वारा ट्रक में लोड कबाड़ के संबंध में कोई कागजात पेश नहीं कर पाया। ट्रक का चालक कबाड़ को पूंजीपथरा के कंपनी में अवैध बिक्री करने ले जाना बताया। उक्त सामान चोरी का होने के संदेह पर कोतवाली पुलिस द्वारा ट्रक को ले जाकर वजन कराया गया जिसमें करीब 7 टन कबाड़ कीमती 2,00,000 रुपए का लोड था। ट्रक के चालक संजू चौहान पर कोतवाली थाने में इस्तगासा धारा 41(1+4)सीआरपीसी/379 आईपीसी के तहत कार्यवाही की गई है तथा जप्तसुदा माल को मय वाहन उर्दना पुलिस लाइन परिसर में सुरक्षा पूर्वक रखा गया है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर, प्रधान आरक्षक नंदकुमार सारथी, श्याम देव साहू, आरक्षक उत्तम सारथी की अहम भूमिका रही है।

चिटफंड कंपनियों से धन वापसी हेतु निवेशकों से मंगाये गये आवेदन की तिथि में बढ़ोत्तरी, अब 20 अगस्त तक लिये जायेंगे आवेदन

रायगढ़ । चिटफंड कंपनियों से धन वापसी हेतु निवेशकों से आवेदन 2 से 6 अगस्त 2021 तक प्राप्त किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। चिटफंड कंपनियों में निवेशकों की अत्यधिक संख्या को दृष्टिगत रखते हुये उक्त अवधि को 20 अगस्त 2021 तक बढ़ाया गया है।

जारी आदेश के अनुसार चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाले निवेशक 20 अगस्त 2021 तक निर्धारित प्रपत्र में सभी आवश्यक जानकारियों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित प्रपत्र में आवेदक अपना नाम, पता सहित चाही गई जानकारी जैसे वित्तीय संस्थान का नाम, जमा करने की तारीख एवं स्थान, एजेंट का नाम आदि के साथ फार्म प्रस्तुत कर सकते हैं।

कलेक्टर श्री सिंह ने समस्त एसडीएम एवं जनपद सीईओ को अपने अधीनस्थ अमलों के द्वारा उक्त संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार कराने तथा निवेशकों से संलग्न प्रपत्रानुसार आवेदन मय दस्तावेज प्राप्त करने हेतु जनपद पंचायतों एवं सभी नगरीय निकायों में हेल्प डेस्क स्थापित करने एवं नामित अधिकारी एवं कर्मचारी का नाम, मोबा.सहित जानकारी कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया है।

जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत लक्ष्य से अधिक वृक्षारोपण कार्य स्वीकृत

» 50 प्रतिशत से अधिक पौधों का किया जा चुका है रोपण

रायगढ़ । महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत रायगढ़ जिले में वृक्षारोपण एवं नर्सरी संबंधी कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है, इसके लिए ग्राम पंचायत सहित दोनों वनमण्डल एवं उद्यान विभाग द्वारा कराया जा रहा है जिले को राज्य शासन से मनरेगा योजना अंतर्गत कुल 2 लाख 14 हजार पौधे एवं 22 लाख 50 हजार नर्सरी तैयार किये जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। जिसमें से लक्ष्य के विरूद्ध 3 लाख 03 हजार 400 पौधे एवं 12 लाख 50 हजार 000 नर्सरी की स्वीकृति कर दी गई है। ब्लाक प्लांटेशन के लिए गोठानो/चारागाह को विशेष रूप से लक्षित किया गया है। इसी तरह सड़क किनारे वृक्षारोपण नदी, नहर, राम गमन पथ के माध्यम से पौधा रोपण की कार्यवाही की जा रही है। सड़क किनारे वृक्षारोपण के कार्यो में पौधों की सुरक्षा हेतु ट्री गार्ड की व्यवस्था की जा रही है। जबकि ब्लाक प्लांटेशन के कार्य में आवश्यकतानुसार चैनलिंग फैसिंग के माध्यम से कार्य कराये जा रहे है। स्वीकृति का 50 प्रतिशत पौध रोपण किया जा चुका है। ग्राम पंचायत स्तर पर खाली भूमि में पौधरोपण का कार्य प्राथमिकता से कराया जा रहा है। आगामी वर्षो में वृक्षारोपण के कार्य परिलक्षित होंगे। इसी प्रकार नर्सरी के 22 लाख 50 हजार पौधे तैयार किया जाना है जिसमें 12 लाख 50 हजार पौधे तैयार करने हेतु जिला पंचायत द्वारा वन विभाग एवं उद्यान विभाग को स्वीकृति प्रदाय की गई है।

स्कूल के मैदानों को लक्षित किया जा रहा है जिला शिक्षा अधिकारी से बड़े मैदान वाले स्कूलों की सूची प्राप्त कर वृक्षारोपण के कार्य स्वीकृत किये गये है। उक्त कार्यो से स्कूल मैदान की सुरक्षा के साथ-साथ वृक्षारोपण के कार्य संपादित हो रहे है। व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य हेतु स्व-सहायता समूह एवं एफ.आर.ए. हितग्राही को लाभांवित किये ता रहे है। उक्त कार्यो से वृक्षारोपण के साथ मनरेगा में पंजीकृत मजदूरों को वर्षा ऋतु में भी रोजगार उपलब्ध कराये जा रहे है।

नगर पालिका परिषद सारंगढ़ की मतदाता सूची छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध

» घर बैठे स्मार्ट फोन या कम्प्यूटर पर ऑनलाइन देख सकते हैं अपना नाम

» मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या संशोधन की अंतिम तिथि 25 अगस्त

रायगढ़ । रायगढ़ जिले के नगर पालिका परिषद् सारंगढ़ में आगामी समय में आम निर्वाचन होना हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार एवं पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया जारी है। नगर पालिका परिषद् सारंगढ़ के मतदाता अब घर बैठे अपना नाम सम्बंधित निकाय की वोटर लिस्ट में देख सकते हैं। निकायों की मतदाता सूची की छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट http://cgsec.gov.in (एच टी टी पी पी कोलन स्लैश स्लैश सी जी एस ई सी डॉट जी ओ वी डॉट इन) पर अपलोड कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए यह प्रयास किया गया है, यदि किसी मतदाता के पास स्मार्ट फोन या कम्प्यूटर है तो उसे मतदाता सूची का अवलोकन करने के लिए अब मतदान केन्द्र जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 में संशोधन के अनुसार नगरीय निकायों की मतदाता सूची में ऐसे मतदाताओं के नाम दर्ज किये गए हैं जिनके नाम के उस क्षेत्र की विधानसभा निर्वाचन की मतदाता सूची में दर्ज हैं। वेबसाइट के माध्यम से मतदाता पर्ची डाऊनलोड कर प्रिंट भी की जा सकती है। मतदाता सूची के अवलोकन के बाद यदि किसी मतदाता को अपने नाम, पता अथवा और कोई सुधार करवाना हो तो जिले में सक्षम अधिकारी से संपर्क कर सकता है। साथ ही अगर किसी मतदाता का नाम किसी कारणवश संबधित नगरीय निकाय की सूची में नहीं जुड़ा है तो वह मतदान केन्द्र के प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। यदि मतदाता को किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण के बाद अपना नाम जुड़वाना है तो प्ररूप क में अथवा यदि नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन करवाना है तो प्ररूप ख के तहत आवेदन करना होगा। यदि किसी व्यक्ति का नाम नगरीय निकाय क्षेत्र की विधानसभा की मतदाता सूची में न हो तो उसे अपना नाम जुड़वाने के पश्चात् प्रारूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष समस्त आवश्यक दस्तावेजों और इपिक कार्ड के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। मतदाता को यह कार्य दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। नगर पालिका परिषद् सारंगढ़ के मतदाताओं को 25 अगस्त 2021 को दोपहर 3 बजे तक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

नगर पालिका परिषद् सारंगढ़ में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा 16 अगस्त तक निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन करने के साथ इसे मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराया जाएगा। तय कार्यक्रम के अनुसार 16 से 25 अगस्त तक दावा एवं आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं निर्वाचक नामावली पर दावा एवं आपत्तियां 25 अगस्त तक दोपहर तीन बजे तक प्रस्तुत की जा सकेंगी। इसके बाद किसी भी प्रकार की दावा अथवा आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। दावा-आपत्ति के निराकरण की अंतिम तिथि 2 सितम्बर निर्धारित की गई है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480